

**धारा 84 : कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण**

जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य रकम (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "सरकारी शोध्य" कहा गया है) के संबंध में किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को किसी सूचना की तामील की जाती है और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं, तब,—

- (क) जहां ऐसे सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में बढ़ा दिया जाता है वहां आयुक्त कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उस रकम, जिसके द्वारा ऐसे सरकारी शोध्यों को बढ़ा दिया जाता है, की वसूली के लिए दूसरी मांग सूचना जारी करेगा और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई वसूली कार्यवाहियां, जो ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग की सूचना के अंतर्गत आती हैं, किसी नई मांग सूचना की तामील के बिना उस प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसे निपटान के ठीक पूर्व थीं;
- (ख) जहां सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में कम कर दिया जाता है वहां—
- (i) आयुक्त के लिए कराधेय व्यक्ति पर मांग की नई सूचना की तामील करना आवश्यक नहीं होगा;
  - (ii) आयुक्त ऐसी कमी की उसे और समुचित प्राधिकारी को, जिसके पास वसूली कार्यवाहियां लंबित है, संसूचना देगा;
  - (iii) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग के आधार पर संस्थित कोई वसूली कार्यवाहियां इस प्रकार कम की गई रकम के संबंध में उसी प्रक्रम से, जिस पर जहां वह ऐसे निपटान से ठीक पूर्व थी, जारी रह सकेंगी।

उपयुक्त नियम: नियम 161

उपयुक्त प्रारूप: प्रारूप जीएसटी डीआरसी-25